कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब -साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2613086/2636317 Fax 0291-2613086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3780 दिनांक:- 23/02/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 16/2023 वीं बैठक दिनांक 22.02.2023 को उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 16/2023 वीं बैठक जोन उत्तर के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 327, 328, 329, 329/1 रकबा 77.05 बीघा में से सर्वे अनुसार 119926.36 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण तथ्य

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पैरा संख्या 03 अनुसार मौके पर 50 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है।
2. 322 खसरे से उक्त योजना को पंहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसका मार्ग अधिकार पूर्व में अनुमोदित 322 खसरे के सर्वे प्लेन में 35 फीट है।

~~8. सर्वेयर अनुसार योजना का कुल क्षेत्रफल 120060.95 वर्गमीटर है~~।

3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 81 संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 327, 328, 329, 329/1 विधि शाखा मे वाद लम्बित नही है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 79, 80 पर सलंगन रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 327, 328, 329, 329/1अवाप्ति विचाराधीन नही है।
5. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 83 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	79919.70	66.64
2.	सड़क	36660.48	30.57
3.	HT LINE SAFETY CORRIDOR	3346.18	2.79
कुल		119926.36	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो की सुनिश्चितता जोन स्तर की जाए।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जाए।
03. आवेदित भूमि में से HT LINE गुजर रही है कि जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में टिप्पणी प्राप्त कर सेफटी कॉरिडोर को दर्शाया जाए।
04. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में पूर्व का कमिटमेंट मानते हुए Building line maintain के लिए सड़क का मार्गाधिकार 35 फीट रखना अपेक्षित है।
05. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार	सहायक/अधिशाषी अभियन्ता	सहायक नगर नियोजक	उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/ 3781-3786 दिनांकः– 23/02/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर